सर्टिफिकेट पिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मॉड्यूल 15- जल उपभोक्ता समिति को सशक्त करने वाले तत्व

विषय 15.1 अंतर्विभागीय संपर्क

विषय 15.1

अंतर्विभागीय संपर्क

<u>मॉड्यूल 15 के विषय:</u>

15.1 अंतर्विभागीय संपर्क

15.2 महिलाओं की भागीदारी

15.3 नेतृत्व

15.4 सामुदायिक गतिशीलता

1. पृष्ठभूमि

जल उपभोक्ता समिति (डब्ल्यू.यू.ए.) सिंचाई प्रबंधन हस्तांतरण (आई.एम.टी.) की रीढ़ हैं, या दूसरे शब्दों में, डब्ल्यू.यू.ए.की सफलता आई.एम.टी. कार्यक्रम की प्रभावशीलता को चिह्नित करता है। देश भर में, डब्ल्यू.यू.ए. का गठन राज्य-विशिष्ट अधिनियमों या मौजूदा अधिनियमों में संशोधनों और कुछ मामलों में सरकारी

अधिसूचना के माध्यम से भी किया जाता है । देश के भीतर, डब्ल्यू.यू.ए. के विकास विभिन्न स्तरों पर हैं । कुछ स्थानों पर वे सफल होते हैं; दूसरी ओर अधिकांश स्थानों पर सफल डब्ल्यू.यू.ए. की स्थापना एक 'कार्य-प्रगति' की तरह है।

अपने अधिकार क्षेत्र में नहर प्रणाली के सामान्य संचालन और रखरखाव (ओ.एंड एम.) के अलावा, कई डब्ल्यू.यू.ए. सिंचाई शुल्क संग्रह में भी लगे हुए हैं। दूसरी ओर, कुछ ' बहुत प्रगतिशील' डब्ल्यू.यू.ए. कई अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं और यह सब उन्हें देश के कई अन्य डब्ल्यू.यू.ए. से अलग बनाया जाता है ।

डब्ल्यू.यू.ए. को मजबूत बनाना एक बहुआयामी मामला है जिसके विभिन्न बहुविषयक और बहु-क्षेत्रीय पहलू हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। इनमें से कुछ पहलू विशुद्ध रूप से सूचना और जागरूकता से संबंधित हैं, जबकि अन्य वास्तविक जीवन के मामले (केस-स्टडीज) के अध्ययन के माध्यम से प्रेरणा और आत्म-विश्वास से संबंधित हैं:

1. डब्ल्यू.यू.ए. को मजबूत बनाने में सहायता करने वाले पहलुओं पर चर्चा - जागरूकता और जानकारी
2. डब्ल्यू.यू.ए. को एक आत्मनिर्भर और सक्रिय मॉडल बनाने के प्रति किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए - क्षमता प्रदान करना
3. कुछ वास्तविक जीवन के मामले (केस-स्टडीज) के अध्ययन साझा करते हुए डब्ल्यू.यू.ए. में विश्वास स्थापित करने के लिए के लिए कि, ' हां यह संभव है ' - आत्म विश्वास

इस मॉड्यूल का उद्देश्य उपरोक्त तीनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, जल उपभोक्ता समिति को सशक्त बनाने वाले निम्न लिखित 4 तत्वों पर चर्चा करना है-

1) अंतर्विभागीय संपर्क-

- कैसे विभिन्न विभाग डब्ल्यू.यू.ए. के लिए उपयोगी हो सकते है
- सम्बंधित योजनाओं से लाभ

2) महिलाओं की भागीदारी

3) कुशल नेतृत्व

4) सामुदायिक जुड़ाव (समुदाय के एकत्रीकरण के मूल्य)

इस उप-मॉड्यूल में हम अंतर्विभागीय संपर्क पर चर्चा करेंगे:

1. अंतर्विभागीय संपर्क

यह आशा की जाती है कि, इस उप-खंड से, देश में सिंचाई और कृषि मामलों में विभिन्न विभागों, मंत्रालयों, संगठनों और संस्थानों की भूमिका को समझने में किसानों और डब्ल्यू.यू.ए. की मदद होगी । यह उप-खंड देश में चल रही परियोजनाओं, कार्यक्रमों, गतिविधियों और योजनाओं (इन विभागों, मंत्रालयों, संगठनों और संस्थानों द्वारा) की भी जानकारी देता है, जो डब्ल्यू.यू.ए. के लिए फायदेमंद हो सकता है और डब्ल्यू.यू.ए. उससे लाभ ले सकते हैं ।

डब्ल्यू.यू.ए. और किसान कल्याण में योगदान देने वाले विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों, संगठनों को चार प्रमुख शीर्षकों में वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है:

बुनियादी समर्थन (कृषि और सिंचाई)	वित्तीय सहायता	क्षमता निर्माण	संबद्ध लाभकारी गतिविधियां
• कृषि • सिंचाई और जल संसाधन (सी.ए.डी. और डब्ल्यू.एम.) • मंडियों • भूजल	• बैंक (राष्ट्रीयकृत / सहकारी / निजी) • नाबार्ड • वित्तीय संस्थान (द्विपक्षीय / बहुपक्षीय दानदाता)	• जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान/सिंचाई जल प्रबंधन संस्थान (इस तरह के संस्थान) • कृषि विश्वविद्यालय • कृषि विवि केंद्र	• रसायन और उर्वरक: सरकार के स्वामित्व वाली उर्वरक/कीटनाशक उत्पादन और खरीद एजेंसियां (जैसे-इफको, कृभको, राज्य कृषि सहकारी • ग्रामीण विकास - मनरेगा • निजी कॉर्पोरेट्स

इन संस्थाओं को उनके भौगोलिक दायरे के संदर्भ में समझने के लिए तीन वर्गों, अर्थात राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और क्रॉस-कटिंग (ऐसी संस्थाएँ जहाँ केंद्र और राज्य सरकार दोनों का योगदान है और वे संस्थान, जिनमें अर्ध-सरकारी, निजी, स्वायत्त, ऋण और सहायता दाता आते हैं) में भी वर्गीकृत किया है । यह वर्गीकरण नीचे चित्र में दर्शाया गया है।

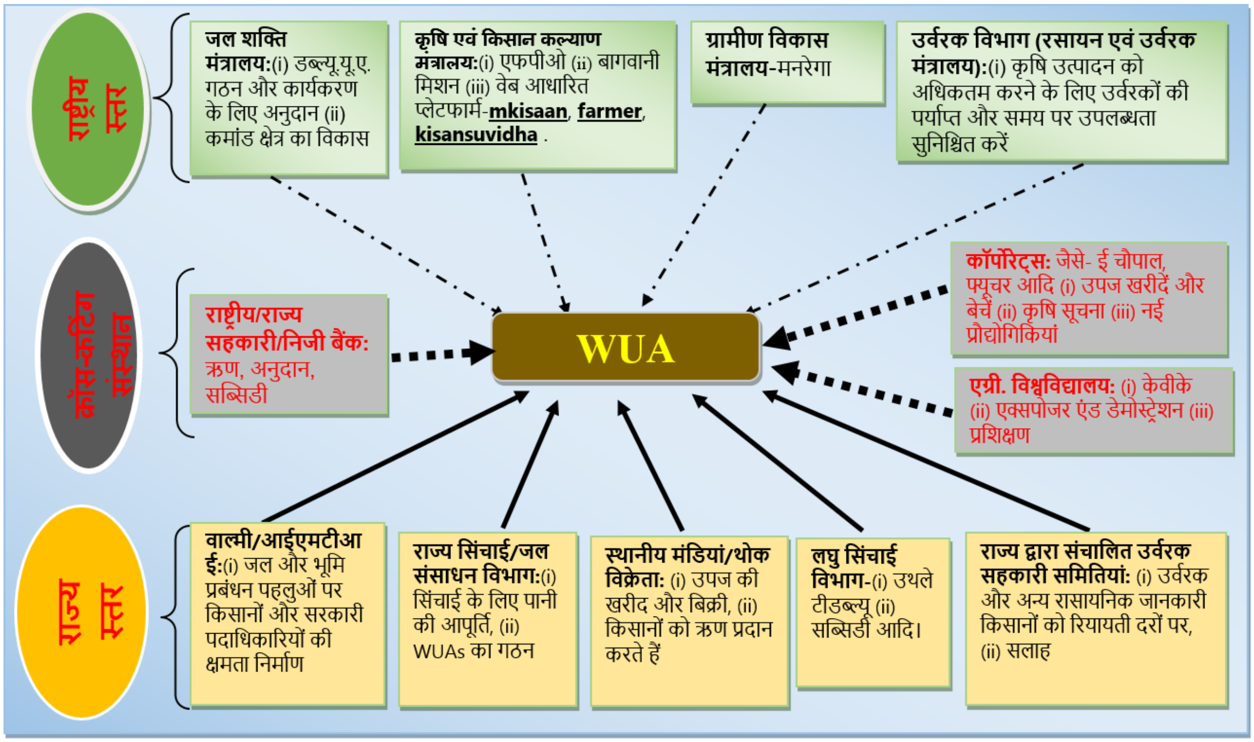

कुछ प्रमुख विभाग जो डब्ल्यू.यू.ए. के लिए उपयोगी हो सकते हैं:

1) <u>जल शक्ति मंत्रालय</u>

जल शक्ति मंत्रालय (पहले का नाम - जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण) देश के इस बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन पर बढ़ती मांगों से मेल खाने के लिए इष्टतम सतत विकास, गुणवत्ता के रखरखाव और जल संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए एक दृष्टिकोण के साथ देश की जल संसाधन संस्था है। जबकि मंत्रालय की कई योजनाएं और कार्यक्रम हैं, हालांकि कुछ प्रमुख कार्यक्रम और

योजनाएं हैं जो डब्ल्यू.यू.ए. और उनके कामकाज में लाभ प्रदान कर सकते हैं । इसमें शामिल हैं -

➢ *कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट (सी.ए.डी. एंड डब्ल्यू.एम.):*

सी.ए.डी. एंड डब्ल्यू.एम. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता और उत्पादन को टिकाऊ आधार पर सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग से वृद्धि करना और बेहतर बनाना है। 99 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए सी.ए.डी. और डब्ल्यू.एम. के घटकों को लागू किया जा रहा है, उनमें प्रमुख हैं:

i. *संरचनात्मक सहयोग (भौतिक कार्य)*

इसमें वे सभी कार्य शामिल हैं जो डब्ल्यू.यू.ए. के भीतर नहरों सम्बन्धी संरचनाओं/नहरों आदि के निर्माण, रखरखाव और पुनर्वास आदि से संबंधित हैं । इस संबंध में सीएडी और डब्ल्यूएम से सहायता में शामिल हैं:

(i) ऑन-फार्म डेवलपमेंट (ओ.एफ.डी.) कार्य

ओ.एफ.डी. कार्यों में डब्ल्यू.यू.ए. क्षेत्र के चैनलों का निर्माण, भूमि समतलीकरण और क्षेत्र की सीमाओं को फिर से संरेखित करना शामिल है। उपरोक्त विशिष्ट कार्यों के अलावा सूक्ष्म सिंचाई के लिए अपेक्षित बुनियादी ढांचे का निर्माण भी ओ.एफ.डी. कार्यों का हिस्सा है। कार्यक्रम का मुख्य घटक कोलाबे से सिंचाई कमान के प्रत्येक क्षेत्र में फील्ड-चैनलों (नालियों) का निर्माण है।

(ii) इंटरमीडिएट और लिंक नालियों का निर्माण

(iii) सिंचाई प्रणाली की कमियों में सुधार

(iv) जलभराव वाले क्षेत्रों का उद्धार

ii. गैर-संरचनात्मक सहयोग (क्षमता निर्माण और अन्य सहायता):

इसमें सहभागी सिंचाई प्रबंधन (पी.आई.एम.) को मजबूत करने के लिए निर्देशित विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं:

(i) पंजीकृत जल उपभोक्ता समिति (डब्ल्यू.यू.ए.) को एक बार कार्यात्मक अनुदान

(ii) पंजीकृत डब्ल्यू.यू.ए. को एक बार संरचना हेतु अनुदान

(iii) जल उपयोग दक्षता, उत्पादकता में वृद्धि और सहभागिता सुनिश्चित करते हुए सतत सिंचाई के संबंध में प्रशिक्षण, प्रदर्शन और परीक्षण।

सिंचाई जल उपयोग दक्षता को सिंचाई में बढ़ावा देने के लिए, बारहवीं 5- वर्षीय योजना के दौरान कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परियोजना के कम से कम 10% कृषि कमान क्षेत्र (सीसीए) को स्प्रिंकलर (फवारा)/ड्रिप (टपक) सिंचाई प्रणाली लगाना, उसे सुगम बनाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए फील्ड-चैनलों (नालियों) के स्थान पर सूक्ष्म सिंचाई के साथ कवर करने की योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में मौजूदा कार्यक्रम के सहयोग से, किसानों द्वारा ऑन-फार्म माइक्रो इरिगेशन (स्प्रिंकलर/ड्रिप) प्रणालियों की लागत वहन की जानी है।

- **अटल भूजल योजना:**

इस योजना का उद्देश्य देश में बेहतर एवं सतत भूजल प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए है। इस योजना में देश के सात राज्यों को चिन्हित जल-तनावग्रस्त क्षेत्रों में सतत भूजल प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी और जल की मांग घटने पर जोर दिया गया है । इस योजना में जल जीवन मिशन के लिए बेहतर जल-स्रोत स्थिरता, किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य में सकारात्मक योगदान और बेहतर जल उपयोग को सुगम बनाने के लिए किसानों के व्यवहार में परिवर्तन की परिकल्पना की गई है।

इस योजना में भूजल आंकड़ों की निगरानी और प्रसार, जल बजट, ग्राम-पंचायतवार जल प्रबंधन की योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन करना है । बेहतर भूजल प्रबंधन से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों द्वारा डब्ल्यू.यू.ए. की भागीदारी का आह्वान किया गया है ।

योजना के तहत सम्बंधित कुछ कामों की पहचान की गई है, जिसके आधार पर प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाता है, यह पांच काम है -

- भूजल डेटा/सूचना और रिपोर्ट का सार्वजनिक प्रकटीकरण (प्रोत्साहन निधि का 10%),
- ग्राम-पंचायत के नेतृत्व वाली जल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी (प्रोत्साहन निधि का 15%)
- चल रही योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से सहयोग का सार्वजनिक वित्तपोषण (प्रोत्साहन निधि का 20%)
- कुशल जल उपयोग पद्धति को अपनाना (प्रोत्साहन निधि का 40%)
- भूजल स्तर की गिरावट की दर में सुधार (प्रोत्साहन निधि का 15%)

बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य/क्षेत्र अतिरिक्त प्रोत्साहन निधि के पात्र होंगे । यह योजना हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की 8353 जल-तनावग्रस्त ग्राम पंचायतों में शुरू की जा रही है। योजना के कार्यान्वयन के लिए चिन्हित क्षेत्र का ब्यौरा नीचे बताया गया है।

क्षेत्र और संभावित वित्तीय आवंटन का विवरण

क्र सं.	राज्य	जिलों	ब्लॉक	जीपीएस
1	गुजरात	6	24	1,816
2	हरियाणा	13	36	1,895
3	कर्नाटक	14	41	1,199
4	मध्य प्रदेश	5	9	678
5	महाराष्ट्र	13	35	1,339
6	राजस्थान	17	22	876
7	उत्तर प्रदेश	10	26	550
	कुल	**78**	**193**	**8,353**

2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि क्षेत्र के लिए विभिन्न योजनाएं चलाता है। इनमें प्रमुख है -

- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)**

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) 2015 में शुरू की गई, इस योजना में 'प्रति बूंद अधिक फसल' को अपनाते हुए सिंचाई जल उपयोग में सुधार करके *'हर खेत* को *पानी'* की परिकल्पना की गई है। इस योजना का उद्देश्य

1. सिंचाई में निवेश का अभिसरण
2. सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार *(हर खेत को पानी)*
3. कृषि जल उपयोग में दक्षता *(जल सिंचन)*
4. सतत जल संरक्षण *(जल संचय)*
5. जल स्रोत वृद्धि, जल की हानि को बचाना, मिट्टी और नमी का संरक्षण
6. सटीक-सिंचाई तकनीक द्वारा पानी की बचत (प्रति बूंद अधिक फसल)
7. जल संचयन/प्रबंधन, फसल संरेखण
8. सिंचाई में अधिक निजी निवेश

- **किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)**

भूमि के उपयोग को सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ छोटे धारकों को कृषि मूल्य श्रृंखला में एकीकरण करने के लिए किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) का गठन किया जाता है । किसान उत्पादक संगठनों के पीछे अवधारणा यह है कि किसान (जो कृषि उत्पादों के उत्पादक हैं) अपने समूह बना सकते हैं । इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए 'लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ' (एस.एफ.ए.सी.) को कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) के गठन में राज्य सरकारों का सहयोग करने के लिए निश्चित किया

गया है। आज की तारीख में 5,600 से अधिक एफ.पी.ओ. मौजूद हैं और भारत सरकार का उद्देश्य इस संख्या को 10,000 से अधिक तक ले जाना है।

एफ.पी.ओ./एफ.पी.सी. को वेबसाइट (www.enam.gov.in) या मोबाइल ऐप के माध्यम से ई-एन.ए.एम. पोर्टल पर पंजीकृत किया जा सकताहै या निकटतम ई-एन.ए.एम. मंडी में निम्नलिखित विवरण प्रदान करके किया जा सकता है:

- एफ.पी.ओ./एफ.पी.सी.

- नाम, पता, ईमेल आईडी और संपर्क नहीं। अधिकृत व्यक्ति की (एम.डी./सी.ई.ओ./प्रबंधक)

- बैंक खाते का विवरण

सक्रिय एफ.पी.ओ. के संबंध में सफलता की कई कहानियां हैं, उनमें से कुछ पर संक्षिप्त रूप से नीचे चर्चा की गई है ।

i) रायथा मित्रा निर्माता कंपनी (कर्नाटक)

2015 में स्थापित रायथा मित्रा निर्माता कंपनी (कर्नाटक) में 526 किसान- शेयर-धारक हैं। इसका प्रबंधन श्री टीवी गोपीनाथ द्वारा किया जाता है, यह संगठन अपनी 6 शाखाओं के माध्यम से 1,500 किसानों को जोड़ता है । यह केरल सरकार को कम कीमत पर सब्जियों की आपूर्ति करता है। जल्द ही इसका रिटेल ब्रांड होगा। उन्होंने सैयम फूड्स (दिल्ली) और सिक्किम सरकार के रिटेल ब्रांड 'सिक्किम सुप्रीम' जैसे रिटेल ब्रांड्स के साथ साझेदारी की है ।

ii) राम रहीम निर्माता कंपनी (मध्य प्रदेश)

2012 में, 162 स्वयं सहायता समूहों की 1,500 महिलाओं ने इसका गठन किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान अपनी उपज को बाजार में उनके द्वारा निर्धारित मूल्यों और शर्तों पर बेच सकें. श्री रघुनाथन 2014 में इस कंपनी से जुड़े । 2014 में, इस एफ.पी.ओ. को भारत सरकार द्वारा इक्विटी अनुदान प्रदान करने वाली प्रथम कंपनी बन गई ।

iii) स्मूढ़ी महिला फसल उत्पादक कंपनी (राजस्थान)

राजस्थान में लगभग 2,200 महिला-किसानों वाले, देश में महिला-किसानों के स्वामित्व वाले एफ.पी.ओ. में से एक है, जो किसानों को कमाने और किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने में मदद कर रहा है। सुश्री सावित्री गौड़ (खुद एक किसान) इसे चलाती हैं। कंपनी ने कृषि-प्रसंस्करण मशीनों और खेती से संबंधित सामग्रियों की खरीद में योगदान के माध्यम से 22 लाख रुपये जुटाए ।

iv) श्री संत सावता शेतकरी कंपनी (महाराष्ट्र)

2013 में, वागड़ सिंचाई योजना (नासिक, महाराष्ट्र) के एक अंतिम छोर के गांव (ओजर) में। कंपनी का मुख्य उद्देश्य ताजी सब्जियां बेचना है। अतिरिक्त सब्जियों के उत्पादन से लाभ कमाने के लिए, इस एफ.पी.ओ. ने निर्जलित सब्जियों से भी कंपनी अच्छा व्यापार कर रही है।

v) कामरेडी प्रोग्रेसिव फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (तेलंगाना)

इस एफ.पी.ओ. में 43 गांवों में फैले 2,200 से अधिक किसान-शेयरधारक हैं, हालांकि उनका लक्ष्य 2025 तक उस संख्या को बढ़ाकर 10,000 करना है । विभिन्न ग्राम संघों के सहयोग से कंपनी के किसान करीब 1.65 करोड़ रुपये जुटाने में कामयाब रहे हैं। अब किसान एक साल में दो से अधिक फसलों का उत्पादन करने में सक्षम हैं, क्योंकि एफ.पी.ओ. स्प्रिंकलर इकाइयों, उर्वरकों और बीजों के माध्यम से भी सेवाओं का विस्तार करता है ।

- <u>बागवानी के समेकित विकास के लिए मिशन (एम.आई. डी. एच.):</u>

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.) देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (एम.आई. डी. एच.) के तहत विभिन्न योजनाएं चला रहा है। एन.एच.बी. योजना के तहत लाभ और सहायता प्राप्त करने के लिए किसानों/डब्ल्यू.यू.ए. को एन.एच.बी. या एन.एच.बी. मुख्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। एन.एच.बी. द्वारा प्रचारित किए जा रहे

विभिन्न कार्यक्रमों के परिचालन सम्बन्धी दिशानिर्देश, लागत मानदंड, संपर्क विवरण आदि एन.एच.बी. वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

इस पहल का उद्देश्य फल, सब्जियों, जड़ और कंद फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, बांस को कवर करने वाले बागवानी क्षेत्र का विकास करना है।

मिशन के प्रमुख घटकों में शामिल हैं -

- नर्सरी और गुणवत्ता रोपण सामग्री
- क्षेत्र विस्तार
- संरक्षित खेती: पॉली हाउस, ग्रीन-हाउस, उच्च मूल्य वाली सब्जियों और फूलों के लिए
- जल संचयन संरचना -खेत तालाब: व्यक्तिगत और सामुदायिक
- बागवानी मशीनीकरण
- पोस्ट-हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर (सफाई/छंटाई/ग्रेडिंग/पैकिंग यूनिट्स, कोल्ड चेन, प्राइमरी प्रोसेसिंग)
- किसानों की क्षमता निर्माण
- मधुमक्खी पालन

मंत्रालय ने वेब-आधारित प्लेटफार्मों के माध्यम से कृषि संबंधी जानकारी को सुविधाजनक और प्रसारित करने के लिए निम्नलिखित वेबसाइटों के प्रयोग की बात की है:

✓ www.farmer.gov.in : जानकारी - बीज विविधता, गोदाम, कीट और पौधे रोग, सर्वोत्तम कृषि पद्धतियां, वाटरशेड, मंडी विवरण

✓ www.mkisan.gov.in: एसएमएस के माध्यम से किसानों को फसल से संबंधित विभिन्न मामलों पर सलाह । इस समय लगभग 5 करोड़ किसान पंजीकृत है

✓ www.kisansuvidha.com : मापदंड जैसे मौसम, बाजार मूल्य, संयंत्र संरक्षण, कृषि सलाहकार, चरम मौसम अलर्ट, इनपुट डीलर्स, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कोल्ड स्टोरेज और गोदामों, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के बारे में जानकारी दी जाती है

➢ संबद्ध योजनाओं से लाभ

केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कई अन्य योजनाएं हैं, जिनका उद्देश्य बड़े पैमाने पर किसानों और डब्ल्यू.यू.ए. को लाभान्वित करना है । ऐसी कुछ उल्लेखनीय योजनाओं की चर्चा यहां की गई है।

क. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 2007-08 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य है:

1. कृषि--क्षेत्र का विस्तार और उत्पादकता बढ़ाना
2. मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बहाल करना
3. रोजगार के अवसर पैदा करना
4. कृषि की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना

बाद में, 2013 में, भारत सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अत्यधिक रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी के कवरेज के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू किया।

एन.एफ.एस.एम. के तहत शामिल किए गए कार्यकलापों में बेहतर फसल प्रणाली पर प्रदर्शन, उच्च उपज देने वाली किस्मों का बीज वितरण, कृषि मशीनरी/संसाधन संरक्षण मशीनरी/उपकरण, कुशल जल प्रयोग उपकरण, पौधों के संरक्षण के उपाय, पोषक तत्व प्रबंधन/मृदा सुधार, किसानों को फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण आदि

शामिल हैं । इस योजना के प्रमुख तत्व जिनका डब्ल्यू.यू.ए. पर सीधा प्रभाव पड़ता है, उनमें शामिल हैं -

- प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, प्रगतिशील फसल वाले खेतों का प्रदर्शन
- डब्ल्यू.यू.ए. द्वारा लाभार्थी (जो कृषि उपकरण प्राप्त कर सकते हैं) के चयन को मंजूरी

ख. आत्मा (कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन)

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) योजना 2005-06 के दौरान शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य कृषि विस्तार प्रणाली को किसान की बेहतरी के लिए संचालित करना है। आत्मा में किसानों, डब्ल्यू.यू.ए., एन.जी.ओ., कृषि विज्ञान केंद्रों (के.वी.के.), पंचायती राज संस्थाओं और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी है ।

कृषि विस्तार से संबंधित गतिविधियों के लिए संसाधनों का आवंटन कृषि परिवारों और ब्लॉकों की संख्या से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में, देश के 28 राज्यों और 3 केंद्र-शासित राज्यों में 614 जिलों में इस योजना को लागू किया जा रहा है। इस योजना की कुछ प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं -

- राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर कृषि विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं के लिए समर्थन
- प्रति दो गांवों में 1 किसान मित्र की दर से ग्राम स्तर पर 'किसान मित्र' के माध्यम से समर्थन
- राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर किसान सलाहकार समितियां
- प्रगतिशील किसानों को कृषि विस्तार प्रणाली (3-5 कृषि विद्यालय/ब्लॉक) में एकीकृत करके ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर पर उत्कृष्ट किसानों के क्षेत्र में कृषि विद्यालयों को बढ़ावा
- किसान समूह के माध्यम से ग्राम स्तर पर किसान-से-किसान के वार्तालाप एवं सहयोग को बढ़ावा

- ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर किसान पुरस्कार
- कार्यक्रम के तहत के.वी.के./एस.ए.यू. द्वारा स्थापित सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सी.आर.एस.) को बढ़ावा
- डब्ल्यू.यू.ए. सदस्यों को किसान सलाहकार समितियों (राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर) में नामित करना

ग. किसान रेल

केंद्रीय बजट 2020-2021 में वित्त मंत्री ने निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला बनाने की घोषणा की थी। इसके तहत, जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं (जैसे की - फल सब्ज़ी, दूध, मांस और मछली आदि) को भारतीय रेल के अंतर्गत किसान रेल द्वारा देश के विभिन्न स्थानों कट पहुँचाया जा रहा है । भारतीय रेलवे की यह पहल मुख्य रूप से सब्जियों, फलों, खराब होने वाली वस्तुओं की आवाजाही और परिवहन के लिए है । खराब होने वाली वस्तुओं को सभी चिन्हित स्टॉपेज पर लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति दी जाती है। यह गाड़ियां अनार, केला, अंगूर आदि जैसे फल और शिमला मिर्च, फूलगोभी, ड्रमस्टिक्स, गोभी, प्याज, मिर्च आदि ले जा सकती हैं।

7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई थी। आज की तारीख में 100 से अधिक किसान ट्रेनों का संचालन हो रहा है। ख़ासकर, बागवानी की वस्तुओं में लगे डब्ल्यू.यू.ए. इस विकल्प का लाभ ले सकते हैं।

घ. नाबार्ड

देशभर में ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक दृष्टिकोण के साथ, देश के विकास बैंक के रूप में नाबार्ड की स्थापना 1981 में की गई थी । ग्रामीण विकास कार्यों के वित्तपोषण के अलावा, नाबार्ड भी डब्ल्यू.यू.ए. की मदद करता है -

- सिंचाई क्षेत्र के तहत आनेवाली डब्ल्यू.यू.ए. के विकास को बढ़ावा देना

- डब्ल्यू.यू.ए. से बाहर उत्पादकों के संगठन के विकास को प्रोत्साहित करने के माध्यम से डब्ल्यू.यू.ए. को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और उन्नतशील बनाने हेतु उनको किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) बनाने के और सहयोग करना

ई. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (म.न.रे.गा.)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (म.न.रे.गा.) भारत सरकार की योजना है, जो विकास कार्यों, ग्रामीण सड़कों और वाटरशेड गतिविधियों के लिए एक साल में 100 दिन की गारंटीशुदा रोजगार प्रदान करती है। इस योजना में इन कार्यों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन एवं संरक्षण को मजबूत करना शामिल है, जैसे- सूखा अकाल, वनों की कटाई, मृदा क्षरण ।

जबकि यह ग्राम-पंचायतों की पसंदीदा योजनाओं में से एक है, हाल ही में कई डब्ल्यू.यू.ए. भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और सिंचाई नहर में से गाद निकालने और उसके रखरखाव में लगे हुए हैं ।

डब्ल्यू.यू.ए. के कई उदाहरण हैं, जिन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों या योजनाओं से लाभ उठाया है और अपने डब्ल्यू.यू.ए. की स्थिति में सुधार किया है । कुछ उदाहरणों की चर्चा यहां की गई है ।

(i) तारापुर माइनर डब्ल्यू.यू.ए.

तारापुर माइनर डब्ल्यू.यू.ए. उत्तर प्रदेश के अमेठी में शारदा सहायक सिंचाई प्रणाली का हिस्सा है। इसके सक्रिय डब्ल्यू.यू.ए. अध्यक्ष श्री हाजी, जो एक अभूतपूर्व नेता हैं, ने सुनिश्चित किया है, कि -

➢ उनके डब्ल्यू.यू.ए. के भीतर सिंचाई जल प्रबंधन किसान की आवश्यकताओं के अनुसार और आम सहमति पर आधारित है

➢ अपने डब्ल्यू.यू.ए. के भीतर फील्ड चैनलों के निर्माण के लिए श्री हाजी ने यू.पी.कमान क्षेत्र विकास विभाग के माध्यम से लगभग 30 लाख रुपये सुरक्षित किए।

➢ उनका डब्ल्यू.यू.ए. सामाजिक ऑडिट आयोजित करता है।

- कम पानी की खपत सिंचाई पद्धति को अपनाया और उसका प्रदर्शन किया, हाल ही में वह अपने धान के खेतों पर एस. आर. आई. पद्धति को अपनाया है।

(ii) खानपुर माइनर डब्ल्यू.यू.ए.

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से खानपुर माइनर डब्ल्यू.यू.ए. के सक्रिय और सतर्क किसानों ने अपने ग्राम-पंचायतों की मदद से नहर की सफाई और गाद निकालने के लिए म.न.रे.गा. से संसाधन सुरक्षित किए।

खानपुर माइनर कमांड के किसानों ने खानपुर माइनर के नजदीक बहने वाले नदी (करुला नदी) की सफाई के लिए म.न.रे.गा. से भी संसाधन सुरक्षित कर लिए। यह नदी खानपुर माइनर के सिंचित रकबे के पास से गुज़रती है और आसपास के भूजल की स्थिति में सुधार करने के लिए शुष्क मौसम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

(iii) भोरी माइनर डब्ल्यू.यू.ए.

भोरी माइनर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में डबरा के पास हरसी डैम कमांड क्षेत्र की एक डब्ल्यू.यू.ए. है। इसके सक्रिय डब्ल्यू.यू.ए. अध्यक्ष श्री जसबीर सिंह ने डब्ल्यू.यू.ए. के अधिकार क्षेत्र में आने वाले फील्ड चैनलों का निर्माण सी.ए.डी. एंड डब्ल्यू.एम. कार्यक्रम के माध्यम से करवाया है।

इन सबके अलावा, जल और भूमि प्रबंधन संस्थान, सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जैसे राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान हैं । इसके बाद देश भर में कृषि विश्वविद्यालय फैले हुए हैं और कृषि विवि केंद्र-वे सभी किसान का समर्थन करने के लिए हैं और डब्ल्यू.यू.ए. अपनी तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमता को मजबूत करने के मामले में उनसे लाभ उठा सकते हैं ।

अंत में...

डब्ल्यू.यू.ए. सदस्यों के बीच सिंचाई जल का संचालन, रखरखाव, विवेकपूर्ण वितरण और कुशल उपयोग एक डब्ल्यू.यू.ए. की प्रमुख जिम्मेदारी है । इस अध्याय में जिन पहलुओं पर चर्चा की गई है, वे न केवल डब्ल्यू.यू.ए. के पदाधिकारियों बल्कि सदस्यों

की भी सहायता करेंगे, क्योंकि इससे उन्हें इस अध्याय में चर्चा किए गए विभिन्न कारकों और पहलुओं से उनके ज्ञान-आधार के निर्माण और/या सुदृढ़ीकरण में मदद मिलेगी। इन लोगों को एक जीवंत, सक्रिय और प्रभावी डब्ल्यू.यू.ए. सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। साथ साथ डब्ल्यू.यू.ए. समग्र पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता के लिए भी योगदान देगी।

इसलिए यह आशा की जाती है कि, इस अध्याय से प्राप्त जानकारी की सहायता से डब्ल्यू.यू.ए. के सदस्य और किसान अपनी संस्था को अगले स्तर तक उठाने में अपनी भूमिका के प्रति प्रोत्साहित महसूस करेंगे।

--x–